कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

कृषि वानिकी चेतना केन्द्र, अनूपशहर रोड़, छेरत, अलीगढ़, पिन–202001 * ई–मेलः cfaligarh@gmail.com

पत्रांक 2650/14–1, दिनांकःअलीगढ़ःअप्रैल 06 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– **एटा–कासगंज मार्ग एवं बरेली–मथुरा मार्ग का लो0नि0वि0 द्वारा चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु एटा में किमी0 0 से 20 तक 22.80 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं उस पर अवस्थित 2435 वृक्षों के पातन तथा कासगंज में एटा–कासगंज मार्ग पर किमी0 21 से 24.3 तक तथा बरेली–मथुरा मार्ग किमी0 145 से 161.5 तक 24.008 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 3234 वृक्षों के पातन कुल 46.808 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 5669 वृक्षों के पातन की अनुमति।**

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 1545/एटा–कासगंज मार्ग/21109/2016, दिनांक 25.01.2017.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संन्दर्भित पत्र के कम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा ने अपने कार्यालय पत्रांक– 1788/14–1, दिनांक 29.03.2017 द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर प्रेषित किया गया है। अतः आपत्तियों पर आख्या निर्धारित प्रारूप में मय प्रस्ताव 3 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करें।

क0सं0	नोडल अधिकारी स्तर से की गयी आपत्ति का विवरण	निस्तारण
1.	ऑनलाईन पार्ट–1 में कासगंज में प्रभावित संरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल 24.808 हे0 अंकित किया गया है, जबकि गणना व पूर्ण प्रस्ताव में क्षेत्रफल 24.008 हे0 है, जो त्रुटिपूर्ण है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन पार्ट–प्रथम में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर वास्तविक क्षेत्रफल 24.008 हे0 अंकित कर दिया गया है।
2.	कासगंज के ऑनलाईन पार्ट–2 के बिन्दु सं0– 5 व 7 की सूचना त्रुटिपूर्ण है।	कासगंज के ऑनलाईन पार्ट–2 के बिन्दु सं0– 5 व 7 की सही सूचना अंकित कर दी गई है।
3.	कासगंज के ऑनलाईन पार्ट–2 के Additional Information Details में कोई अभिलेख अपलोड नहीं है।	कासगंज के ऑनलाईन पार्ट–2 के Additional Information Details में सम्बन्धित अभिलेख अपलोड कर दिये गये हैं।
4.	कासगंज के ऑनलाईन पार्ट–2 के बिन्दु सं0–14 में जिले का वन क्षेत्र 0 दर्शाया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। यदि 0 है तो वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति का प्रस्ताव कैसे प्रेषित किया गया है।	कासगंज के ऑनलाईन पार्ट–2 के बिन्दु सं0–14 में जिले का वन क्षेत्र त्रुटिवश शून्य अंकित हो गया था जिसे सही कर, वास्तविक वन क्षेत्र अंकित कर दिया गया है।
5.	कासगंज के संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर अधिशासी अभियन्ता के हस्ताक्षर नहीं है।	कासगंज के संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।
6.	प्रस्ताव के साथ संलग्न संरक्षित वन भूमि के गजट में केवल एटा–कासगंज मार्ग को चिन्हित किया गया है, जबकि कासगंज में बरेली–मथुरा मार्ग के चौड़ीकरण का भी उल्लेख किया गया है।	प्रस्ताव के साथ संलग्न संरक्षित वन भूमि के गजट नोटिफिकेशन में एटा–कासगंज मार्ग एवं बरेली–मथुरा मार्ग को चिन्हित कर दिया गया है।
7.	परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता तो नहीं है, यदि आवश्यकता हो तो प्राप्त कर संलग्न करें।	परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
8.	लागत लाभ विश्लेषण निर्धारित प्रारूप में संलग्न नहीं है।	याचक विभाग से प्राप्त लागत लाभ विश्लेषण निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर दिया गया है।
9.	मार्ग चौडीकरण का एक Liner Plan जिसमें विद्यमान R.O.W प्रस्तावित R.O.W एवं चौडीकरण के उपरान्त वृक्षारोपण हेतु अवशेष वन भूमि को मीटर में दर्शाया गया हो संलग्न नहीं है।	मार्ग चौडीकरण का Liner Plan जिसमें विद्यमान R.O.W प्रस्तावित R.O.W एवं चौडीकरण के उपरान्त वृक्षारोपण हेतु अवशेष वन भूमि दर्शायी गयी है, संलग्न कर दिया गया है।

10.	चौडीकरण के उपरान्त वृक्षारोपण हेतु अवशेष संरक्षित वन भूमि की गणना तथा उक्त वन भूमि पर भूमि उपलब्धता के आधार पर 2 से 3 पंक्ति में रोपण व 10 वर्षो के अनुरक्षण का प्राक्कलन संलग्न नहीं है।	चौडीकरण के उपरान्त वृक्षारोपण हेतु अवशेष संरक्षित वन भूमि की गणना एवं भूमि उपलब्धता के आधार पर पंक्ति में रोपण व 10 वर्षो के अनुरक्षण के प्राक्कलन संलग्न कर दिया गया है।
11.	प्रस्ताव की पावर आफ अटार्नी संलग्न नहीं है।	प्रस्तावक की पावर आफ अटार्नी संलग्न कर दी गयी है।
12.	प्रस्ताव के पृष्ठ–63 से 69 तक कुल 93.616 हे0 अवनत वन भूमि में रोपण हेतु रू0 4,65,95,400 का व्यय प्राक्कलन संलग्न किया गया है, किन्तु दोनों प्रभागों के ऑनलाईन पार्ट–2 के बिन्दु–13 पर अंकित धनराशि का योग रू0 4,66,82,500.00 होता है, जो त्रुटिपूर्ण है।	प्राक्कलनों के अनुसार एटा वन प्रभाग की 45.60 हे0 भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की रू0 248.88 लाख की धनराशि तथा कासगंज वन प्रभाग की 48.016 हे0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण की रू0 217.074 लाख की धनराशि कुल रू0 465.954 लाख पार्ट–2 के बिन्दु संख्या–13 में दर्शाई गई है, जो सही है। पूर्व में टंकण त्रुटि के कारण अधिक धनराशि अंकित हो गयी थी।
13.	उपरोक्त सूचनाओं को ऑनलाईन एवं आफलाइन संशोधित करने का कष्ट करें।	प्रभाग से सम्बन्धित उपरोक्त सूचनाओं को ऑनलाईन व ऑफलाईन संशोधन कर दिया गया है।
14.	उपरोक्त इंगित सूचनाओं को पूर्ण कर प्रस्ताव व विषय सूची पर पृष्ठ संख्या ठीक करें।	प्रस्ताव व विषय सूची पर पृष्ठ संख्या ठीक कर दी गयी है।

संलग्नक :– **उपरोक्तानुसार।**

भवदीय

(बी0 प्रभाकर)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 2650 **/14–1, समदिनांकित।**

1. प्रतिलिपि–प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा/कासगंज को उनके पत्र सं0 1788/14–1, दिनांक 29.03.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, एटा एवं कासगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

(बी0 प्रभाकर)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।